अनुसूची 14 कमांक 563

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारीख के साथ

07/08/19

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा

विविध सीलिंग वाद संख्या- 12/2009

रविन्द्र कुमार गुप्ता पिता स्व0 तेज नारायण गुप्ता **बनाम राज्य एवं अन्य**

-: आदेश :-

अभिलेख का अवलोकन किया। विविध सीलिंग वाद संख्या- 12/2009 रविन्द्र कुमार गुप्ता पिता स्व0 तेज नारायण गुप्ता द्वारा वास्तव में विविध सीलिंग वाद संख्या- 01/1995-96 में दिनांक 15.07.98 एवं जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 03/2003 में दिनांक 20.01.2016 को तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा पारित के आदेश के विरूद्ध समाहर्त्ता, मधेपुरा के न्यायालय में दायर किया गया था।

इस बीच इस वाद में अगली सुनवाई कर निष्पादनार्थ अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 30.05.2012 को इस न्यायालय में हस्तानान्तरित किया गया। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में इस वाद को पंजीकृत कर सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 03/2003 में मौजा पटौरी के अन्य खेसरा के अलावा खेसरा सं0 659 भी सन्निहित है। इस वाद में भी वादगत खेसरा है। चूंकि पूर्व में जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 03/2003 में दिनांक 20.01.2016 को इस न्यायालय द्वारा वादगत खेसरा से संबंधित आदेश पारित है, इसलिए इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुनर्समीक्षा किया जाना उचित नहीं होगा।

अतएव उक्त के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश से उभय पक्षों को अवगत करा दें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, मधेपुरा को भी अनुपालनार्थ भेजें।

ह0 —
अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत
ह0 —
अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

डी0बी0नं0................../न्याया0........................./2019

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर को आदेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निम्न आदेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 —
अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

डी0बी0नं0.....368...../न्याया0 07-8-/2019

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, समाहरणालय, मधेपुरा को Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।